>Title: Regarding ban on mining activities in the Aravali region in Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में वैसे ही घोर अकाल की स्थिति व्याप्त है और इस पर सुप्रीमकोर्ट द्वारा जारी ताजा निर्णय् के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े क्षेत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार के खनन को प्रतिबंधित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उससे मार्बल खनन एवं उससे संबंधित अन्य उद्योग धंधों पर खतरे की तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अरावली श्रृंखला में आने वाले राजस्थान के 14 जिलों में वैध रूप से चल रही सभी तरह की खनन गतिविधियां बन्द हो जाएंगी। इससे संपूर्ण अरावली क्षेत्र में हड़कम्प मचा हुआ है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में अकाल की विभीाका से जूझ रहे राजस्थान को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि व लाखों लोगों को बेरोजगारी की भयावह स्थिति झेलनी पड़ेगी।

अरावली पर्वत श्रृंखला सिरोही व उदयपुर से लेकर अजमेर जिले तक विस्तृत है। राजस्थान के करीब 3.42 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस अरावली पर्वत श्रृंखला में राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमन्द, भीलवाड़ा, अजमेर, टौंक, जयपुर, दौसा, अलवर, नागौर, पाली, भरतपुर व झुंझुनू जिले इसकी जद में हैं।

यह पूरा भू-भाग विपुल खनिज सम्पदा वाला है और कई वार्षों से खनन गतिविधियां चल रही हैं जिसकी वैधानिक स्वीकृति लीज डीड के जरिये राज्य सरकार ने दे रखी है। इस रोक के कारण मार्बल उद्योग के साथ-साथ लगभग 66,553 इकाइयों में कार्य करने वाले 4 लाख श्रमिक बेकार हो जाएंगे और 400 करोड के राजस्व की हानि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनहित में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर करे तथा प्रदेश को राहत प्रदान करे और इस निर्णय पर पुनर्विचार विचार किया जाए ताकि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो और लाखों लागों की रोजी-रोटी भी बची रहे व राज्य तथा केन्द्र सरकार को करोड़ों के राजस्व से भी वंचित न होना पड़े और अरावली पर्वत श्रृंखला में वैध खनन का जो कार्य हो रहा था वह चलता रहे।